175

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश कैम्प रीवा संम्भाग

रीवा म0 प्र0,

Rs. 20/-

829
18/12/12

R-829-II/13

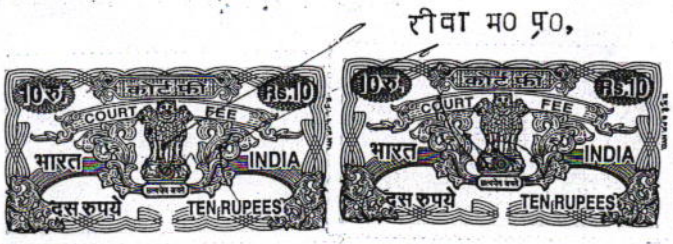

प्रशांत सिंह आत्‍0 श्री बृजेश सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी सहकार भवन के पीछे

सतना तह0 रघु0 जिला सतना म0 प्र0 ---- निगराकार

अधिवक्ता श्री अखिल कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 18.12.12

बनाम

अशोक कुमार जैन आत्‍0 स्व0 श्री हंसराज जैन उम्र 58 वर्ष निवासी जीवन ज्योति कालोनी सतना तह0 रघु0 जिला सतना म0 प्र0 – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा50 म0 प्र0 का0 माल

निगरानी बिरूद्व, आदेश दिनांक 19.10.012 पारित द्वारा न्यायालय श्री मान, अपर कलेक्टर महोदय, सतना जिला सतना म0 प्र0 ,जरियें प्रकरण क्र0 53/निग0/011-012,

----

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

§1§ यह कि गैर निगराकार में मात्र म0 प्र0 शासन को पक्षकार बनाकर आधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यानी तहसीलदार तहसील रघुराज नगर के समक्ष आराजी नं. 211/1/13 , 212/1/12 , 213/1क/11 रकवा 0.07-1/2 ए0, के सीमांकन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, आवेदन पत्र प्रस्तुत करनें पर आधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना दियें राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत कियें गयें, प्रतिवेदन एवं पंचनामा तथा नक्सा सूचना सहित पेश किया था, जिसमें निगराकार को कोई सूचना नही दीं गयी, सूचना में निगराकार के हस्ताक्षर नही हैं, और गैर निगराकार , ने त निगराकार को बिना पक्षकार बनायें सीमाकन की कार्यवाही पीठ पीछे करायी है, निगराकार में आपत्ति प्रस्तुत किया था, कि निगराकार को कोई सूचना नही दी गयी, सुनवाई का अवसर नही दिया गया, सारी कार्यवाही दोष पूर्ण

/2/

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 829/II/13 .... जिला सतना ....

प्रशान्त सिंह विरुद्ध अशोक कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-3-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर सतना के प्रक्र० 53/निग/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-10-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में आक्षेपित आदेश दिनांक 19-10-12 का परिशीलन किया गया। परिशीलन से पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद सीमांकन से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19-10-12 के संबंध में पैरा 5 में स्पष्ट विस्तृत एवं तर्क संगत विवेचना कर निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 19-10-12 के पैरा 5 में निकाले गये निष्कर्षों के संदर्भ में ऐसा कोई अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जो आक्षेपित आदेश के पैरा 5 के निष्कर्षों को खंडित करने में सहायक होता। ऐसी स्थिति में आवेदक अधिवक्ता अपने निगरानी मेमो एवं तर्कों में कही गई बातों को प्रमाणित करने में साक्ष्य के रूप पर असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर	

[कृ. प. उ.

R. 829/11/13 सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
प्रशान्त	अशोक	
	प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०द० हो। सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.